राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

कमांकः—एफ 15(01)राजमैस / शैक्षणिक / RHTC/UHTC/2017 / 1899 जयपुर, दिनांकः— 15/7/2021

—:आदेशः—

मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 34 / 2017 दिनांक 24.02.2017 के कम में शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप—1)विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक प.18(02)एम.ई / ग्रुप—1 / 2015, दिनांक 18.04.2017 से जिला चिकित्सालयों का कमोन्नयन कर भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, पाली एवं सीकर, में नवीन मेडिकल खोले जाने की योजना के कियान्वयन हेतु इन कॉलेजों का संचालन राजस्थान मेडिकल ऐज्यूकेशन सोसाईटी, राज. जयपुर के द्वारा किये जाने के साथ इन जिला चिकित्सालयों का हस्तान्तरण राजस्थान मेडिकल ऐज्यूकेशन सोसाईटी, को किया जाने का निर्णय लिया जाने के फलस्वरूप प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक प.1(01)चि.स्वा. / 02 / 2016, दिनांक 17.02.2017 से जिला चिकित्सालय भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, पाली एवं सीकर, को चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन किये जाने के आदेश जारी किये गये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ उक्त जिला चिकित्सालयों का पूर्ण हस्तान्तरण चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन किये जाने के उद्धेश्य से इस सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश एतद्द्वारा जारी किये जाते हैः—

1. जिला चिकित्सालय भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, पाली एवं सीकर, के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण का पूर्णतया हस्तान्तरण चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किया जाता है।
2. बिन्दु संख्या (01) में उल्लेखित जिला चिकित्सालयों का संचालन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संलग्न चिकित्सालयों के संचालन की तर्ज पर किया जायेगा।
3. इन जिला चिकित्सालयों में नियन्त्रण हेतु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पद समाप्त किया जाकर चिकित्सालय अधीक्षक का पद होगा, जिस पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा की जायेगी।
4. वित्तीय नियन्त्रण के सम्बन्ध में इन जिला चिकित्सालयों के स्वीकृत पदों, गत 03 वित्तीय वर्षो में स्वीकृत बजट प्रावधान, वर्षवार व्यय, संविदा सेवाओं आदि की पूर्ण एवं विस्तृत सूचना चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को सम्बन्धित मेडिकल कॉलेंजों के प्रधानाचार्यों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त बजट प्रस्ताव आगामी बी.एफ.सी. के समय चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जायेगें।
5. मेडिकल कॉलेज एवं इनके अधीन / सम्बद्ध जिला चिकित्सालयों के लेखों की ऑडिट राजमैस के द्वारा करवाई जावेगी।

उक्त आदेश माननीय मंत्री महोदय, (चिकि. स्वा.एवं प.क. विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) के स्तर से प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदन उपरान्त वित (व्यय—1) विभाग की आई.डी. संख्या 132100062 दिनांक 21.06.2021 तथा आई.डी. संख्या 132100077 दिनांक 08.07.2021 पर प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये गये हैं।

सिद्धार्थ

(वैभव गालरिया)
शासन सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांकः–एफ 15(01)राजमैस / शैक्षणिक / RHTC/UHTC/2017 / 1899 जयपुर, दिनांकः– 15/7/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं चिकि. स्वा.एवं प.क. विभाग राज. सरकार।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, शासन सचिव, चिकि. स्वा.एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजि सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान,जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट / व्यय–I) / आयोजना विभाग,राजस्थान,जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान मेडिकल ऐजयूकेशन सोसाईटी, राजमैस, जयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान,जयपुर।
10. कोषाध्यक्ष एवं अति. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान,जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा,/ राजमैस, राजस्थान, जयपुर।
12. नोडल अधिकारी, नवीन मेडिकल कॉलेज, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, पाली, सीकर, बाड़मेर, व डूँगरपुर।
14. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चुरू, डूँगरपुर, पाली, व सीकर।
15. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चुरू, डूँगरपुर, पाली, व सीकर।
16. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा विभाग